

Deposit of fee4.  
Section 6

(1)The fee shall be deposited with the State Public Information Officer either in Cash against proper receipt, by Bank Draft, by Indian Postal Order or by treasury Challan in the following Heads of Account :—

Major Head 0070—Other Administrative Services

Sub Major Head 60—Other Services

Minor Head 800-Other Receipts

Sub Head 86—Fee under the Right to Information Act, 2005.

Detailed head “0070-Other Administrative Services-60-Other Services-800-Other Receipts-86 Fee under the Right to Information Act, 2005”.

(2) The amount of fee shall be credited to the account as referred in sub-rule (1):

Provided that the Boards, Corporations and other autonomous bodies of the State may get the amount of requisite fee deposited in their own accounts maintained by the.

(3) On receipt of an application, submitted under sub-rule (1) of rule 3, the State Public Information Officer shall scrutinize the application and shall assess how much fee is required to be paid by the applicant for obtaining the information.

(4) The fee assessed under sub-rule (3), shall be intimated to the applicant by the State Public Information Officer, expeditiously, in Model Form ‘B’ to ensure the delivery of information within time specified under sub-section (1) of section 7 of the Act.

Quantum of fee  
Section 6 and 7

(1) An application for obtaining any information under Sub-section (1) of Section 6 shall be accompanied with a fee of ten rupees and shall ordinarily not contain more than five hundred words excluding annexure, address of the State Public Information Officer and that of the applicant:

Provided that no application shall be rejected only on the ground that it contains more than five hundred words.

(2) For providing information under Sub-section (1) of Section 7, the fee shall be charged from the applicant at the following rates, namely:-

(a) two rupees for each page in A-4 or A-3 size paper, created or copied; and

(b) If information is to be provided on a large size of paper than that of specified in clause

(a). the actual cost price of such a paper shall be charged.

(3) For providing information under Sub-section (5) of Section 7, the fee shall be

Charged from the Applicant at the following rates, namely

- (a) fifty rupees for providing information in a floppy.
  - (b) fifty rupees for providing information in. diskette; and
  - (c) if information sought is of such a nature, which is contained in a printed document of which a price has been fixed, then that information shall be provided after charging the price, fixed for that printed document. However. if only an extract or page of such a printed document is asked for, then a fee of two rupees per page shall be charged.
- (4) No fee for inspection of record shall be charged, if such an inspection is made for one hour only. . However, if inspection is made for a period of more than one hour, then a fee of five rupees shall be charged for every subsequent hour or fraction thereof."

फीस जमा करना  
अधिनियम की धारा 6

4. (1) फीस राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास या तो उचित रसीद सहित नगदी में या बैंक ड्राफ्ट द्वारा, भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा या खजाना चालान द्वारा निम्नांकित शीर्ष में जमा करवाई जायेगी: -

मुख्य शीर्ष	...	0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं
उप - मुख्य शीर्ष	...	60 - अन्य सेवाएं
लघु शीर्ष	...	800 - अन्य प्राप्तियां
उप - शीर्ष	...	86 - शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत
विस्तृत शीर्ष	...	0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - 60 - अन्य सेवाएं - 800 - अन्य प्राप्तियां - 86 - शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत.

- (2) शुल्क की राशि उप-नियम (1) में संदर्भित शीर्षक में जमा की जाएगी:  
परन्तु राज्य के बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत्त निकाय आवश्यक शुल्क को अपने द्वारा बनाए गए खातों में जमा करवा सकते हैं ।
- (3) नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदन की समीक्षा करेगा तथा निर्धारित करेगा कि फीस सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा संघ की जानी अपेक्षित है ।
- (4) उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित फीस की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना देने को सुनिश्चित करने के

लिए आदर्श प्ररूप 'ख' में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा शीघ्रता से आवेदक को सूचित की जाएगी ।

- (5) यदि आवेदक उप-नियम (4) के अधीन उसका दी गई सूचना के जारी हाने के बाद पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर अपेक्षित फीस जमा करवाने में असफल रहता है, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि आवेदक चाही गई सूचना प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, और उसका आवेदन फाइल कर दिया गया समझा जाएगा ।

#### फीस की प्रमात्र धारा 6 तथा 7

(1) धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ दस रुपए की फीस लगाई जाएगी तथा सामान्यतः अनुलग्नकों, राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा उस आवेदक के पता सहित पांच सौ शब्दों से अधिक नहीं होंगे:

परन्तु कोई भी आवेदन केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि इसमें पांच सौ शब्दों से अधिक दिए गए हैं।

(2) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:-

(क) ए-4 या ए-3 आकार के कागज पर बनाई गई या प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपए; तथा

(ख) यदि सूचना खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न बड़े आकार के कागज पर उपलब्ध करवाई जानी है, तो ऐसे कागज की वास्तविक लागत प्रभारित की जाएगी।

(3) धारा 7 की उप-धारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:-

(क) फलोपी में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए पचास रुपए;

(ख) डिस्कट में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए पचास रुपए; तथा

(ग) यदि चाही गई सूचना ऐसे स्वरूप की है, जोकि मुद्रित दस्तावेज में है, जिसकी कीमत नियत की गई है, तब वह सूचना उस मुद्रित दस्तावेज के लिए नियम कीमत प्रभारित करने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। तथापि, यदि ऐसे मुद्रित दस्तावेज का केवल उद्घरण या पृष्ठ मांगा गया है, तब प्रति पृष्ठ दो रुपए की फीस प्रभारित की जाएगी।

(4) अभिलेख के निरीक्षण के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी, यदि ऐसा निरीक्षण केवल एक घण्टे के लिए किया गया है। तथापि, यदि निरीक्षण एक घण्टे की अवधि के लिए किया गया है, तो प्रत्येक पश्चात्तर्वर्ती प्रत्येक घण्टे या उसके भाग के लिए पांच रुपए फीस प्रभारित की जाएगी।”।